जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन में सदाचार के उच्चतम मानदंडों का पालन करना चाहिए : लोक सभा अध्यक्ष

...

राजनीतिक दल सामूहिक रूप से विधानमंडलों के सदनों के वेल में नारेबाजी और पट्टियों के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए विचार करें: श्री बिरला

...

सत्रों के दौरान बैठकों की घटती अवधि पर सभी हितधारक गौर करें: श्री बिरला

...

सदन वाद-विवाद और संवाद के लिए है न कि व्यवधान के लिए: श्री ओम बिरला

...

विधायकों की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य की है

....

लोक सभा अध्यक्ष ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया

पटना, 17 फरवरी, 2022: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने बिहार विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आज पटना में बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बिहार विधानमंडल के 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

राज्य सभा के उप सभापति, श्री हरिवंश; बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार; बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, श्री विजय कुमार सिन्हा; बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई अन्य विशिष्टजन इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री बिरला ने कहा कि संसद और विधानमंडलों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों और विधायी माध्यमों से उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य करें।

श्री बिरला ने सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सदन की शुचिता उसके सदस्यों के आचरण से जुड़ी होती है। इसलिए इसकी शुचिता बनाए रखना सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। लोक सभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि सदन वाद-विवाद और संवाद के लिए है न कि व्यवधान के लिए। विधानमंडलों के सदनों के वेल में नारेबाजी और पट्टियों के प्रयोग पर रोष व्यक्त करते हुए श्री बिरला ने कहा कि अब उपयुक्त समय आ गया है जब सभी विधानमंडल और राजनीतिक दल सामूहिक रूप से इस प्रवर्ति पर अंकुश लगाने पर विचार करें। श्री बिरला ने लोक सभा के डिजिटल संसद ऍप का उल्लेख करते हुए, सभी राज्यों के विधानमंडलों का आवाहन किया कि इस दिशा में काम करें। उन्होंने यह भी बताया कि लोक सभा एक मिशन मोड में इस दिशा में कार्यरत है जिससे सभी विधानमंडलों की जानकारी एक प्लेटफार्म पर लायी जा सके।

यह टिप्पणी करते हुए कि जनप्रतिनिधियों को नैतिक आचरण के उच्चतम मानदंडों का पालन करना चाहिए, श्री बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि को अपना हर काम ईमानदारी और पारदर्शिता से करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों को अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में सदाचार के उच्चतम मानदंडों का पालन करना चाहिए। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे सदन की प्रतिष्ठा बढ़े, समाज को प्रेरणा मिले और दूसरों के लिए वे एक उदाहरण बने।

विधायकों की भूमिकाओं और दायित्वों के बारे में बोलते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में, सदस्यों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़े, उनकी आशाएं और आकांक्षाएं पूरी हों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें ताकि समाज में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो सके। श्री बिरला ने यह भी कहा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें अपने देश और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति स्वयं को पुनःसमर्पित करना चाहिए।

हाल ही में संपन्न हुए सत्रहवीं लोकसभा के आठवें सत्र में 121 प्रतिशत उत्पादकता का जिक्र करते हुए श्री बिरला ने राज्य विधानमंडलों में उत्पादकता सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा शुरू करने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सत्रों के दौरान बैठकों की घटती अवधि पर सभी हितधारक गौर करें जिससे लोगों की भावनाओं को उचित प्रकार से प्रतिबिंबित किया जा सके।

श्री बिरला ने बिहार विधान सभा डिजिटल टीवी और बिहार विधान सभा पत्रिका का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी स्मृति स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण भी किया और परिसर में एक बोधि वृक्ष लगाया।

बिहार विधानमंडल की स्थापना और इतिहास का उल्लेख करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधायकों की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य की है। इसी भावना से उनको पूरी बुलंदी से अपनी बात को गंभीरता से सदन में रखना चाहिए। विधायकों के क्षमता निर्माण के विषय में उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने 2006 के बाद चार प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करके इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।उन्होंने आशा व्यक्त की कि बिहार विधान मंडल के सभी सदस्य इस अवसर का लाभ उठाकर सदन की कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और जनमानस के विकास में योगदान देंगे। पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच आपसी सौहार्द का आह्वान करते हुए श्री नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में यह परंपरा है कि अपने-अपने सदनों में बिविध मुद्दों पर बहस करने के बाद सांसद गण सेंट्रल हॉल में परस्पर संवाद करते हैं और आपसी विश्वास से जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय साझा करते हैं। उन्होंने बिहार विधान मंडल के सदस्यों को सलाह दी कि वह भी इसी भावना से आपस में व्यवहार करें और विचार साझा करें।

संसद के रूल्स और प्रोसीजर का जिक्र करते हुए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि इसमें अभी भी औपनिवेशिक प्रभाव है, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कानून निर्माण में देरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान होना चाहिए क्योंकि इसका जनता के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ कानून निर्माण के बारे में सोचना होगा जिससे वर्तमान की जटिल समस्याओं का निदान हो सके। साथ ही उन्होंने व्यर्थ कानूनों के बारे में भी सचेत किया और कहा कि इनकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसदों को बजट स्क्रूटनी के लिए अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, क्योंकि सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। श्री हरिवंश ने विधायी कार्य में शोध की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में कहा कि विधानमंडलों में विधायको को प्रभावी शोध की आवश्यकता है और इस विषय में प्रयास किए जाने चाहिए।

इससे पहले लोक सभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनप्रतिनिधिओं पर हर क्षण जनता की पैनी निगाह लगी रहती है और जनता की अदालत में वे सदैव ही कटघरे में खड़े रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें सदन में अधिक से अधिक उत्पादक और सकारात्मक भूमिका निभानी होगी जिससे जनता के सरोकारों को भली भांति

समझा जा सके। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शासन को सुशासन में बदलने के लिए हमें संचार और सूचना तकनीक का प्रयोग करना होगा।इस बात पर जोर देते हुए कि संवैधानिक प्रावधानों के भीतर रह कर ही विधायिका, कार्यापैका और न्यायपालिका को काम करना चाहिए, श्री सिन्हा ने कहा कि किसी को भी इस मर्यादा को लांघने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे संविधान के मूल भावना का क्षय हो।

बिहार के लोगो की विशिष्ट राजनीतिक जागरूकता का उल्लेख करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक भावना और जागरूकता का श्रेय यहाँ की निर्वाचित संस्थाओं को जाता है। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि जनता के अपार विश्वास के बावजूद ये संस्थाएँ लोगों से दूर होती जा रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को कैसे समझा और पूरा किया जाए? राजनीतिक विमर्श में संकीर्णता और घृणा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति से लोकतंत्र कमजोर होता है और इसीलिए जनता की वास्तविक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करना सभी विधायको का कर्तव्य है। केंद्र और राज्यों के आपसी रिश्तों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं से इस विषय में चिंता का भाव उत्पन्न हुआ है जिसका समाधान किया जाना चाहिए।

विधायकों के कर्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार सरकार में संसदीय कार्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की निगाहें हमेशा विधायको के आचरण पर लगी रहती है और एक लगातार समीक्षा उनके कामकाज की होती रहती है। मीडिया हो अथवा न्यायपालिका अथवा जनता, सभी सूक्ष्म रूप से हमारा मूल्यांकन करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने व्यवहार और कार्य से ये प्रदर्शित करें कि हम जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। शासन के अन्य अंगों व अन्य संस्थाओं द्वारा विधायिका के कामकाज पर अप्रसंगिक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि हम समझ लें कि विधायिकाएं लगातार कानूनों में समय की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करती है। ऐसा इसलिए है कि वे जनभावनाओं के सर्वाधिक निकट होती है और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भलीभाँति पहचानती हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये हम सबका और विशेषतः लोक सभा का सामूहिक कर्तव्य है कि इन अनर्गल टिप्पणियों से विधायिका की प्रतिष्ठा का अभिरक्षण करें।

इस अवसर पर बोलते हुए बिहार की उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी ने कहा कि नीति निर्माताओं का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे जनता और शासन के अन्य अंगों को उन पर ऊँगली उठाने का अवसर ना मिले । उन्होंने कहा कि अपने कार्य में दक्षता लाने के लिए विधायको को विविध विधायी प्रोसीजर्स की जानकारी होनी आवश्यक है और इस संदर्भ में आज का कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह युग संचार क्रांति का युग है और सूचना तकनीक के इस्तेमाल से विधायक अपने कार्य में अधिक प्रभाव और प्रासंगिकता ला सकते हैं। उन्होंने विधायको का आह्वान किया कि गरीबी, अशिक्षा और बढ़ती आबादी जैसी विकट समस्याओं पर विचार करें और सदन के पटल पर इन समस्याओं से निपटने के लिए विमर्श करें।

बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सभी विधायको का यह दायित्व है कि संसदीय आचरण का पालन करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा आचरण यदि इसके विपरीत होता है तो जनता में निराशा उत्पन्न होती है जो संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। अतः सदन के समय का सकारात्मक उपयोग होना चाहिए जिससे जनता के सरोकारों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सके।

इस अवसर पर बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

महासचिव, लोकसभा, श्री उत्पल कुमार सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

उद्घाटन सत्र के बाद "संसदीय प्रश्न और विधायी प्रक्रिया" और "संसदीय विशेषाधिकार और समिति प्रणाली" पर पूर्ण सत्र हुए। श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय; श्री अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री; श्री विजय कुमार चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री, बिहार सरकार; श्री रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्ण सत्र में अपने विचार रखे।

लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) तथा बिहार विधान सभा सचिवालय के समन्वय से बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।